भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2393

उत्तर देने की तारीख 03 अगस्त, 2026

12 श्रावण, 1948 (शक)

ई- स्पोर्ट्स की मान्यता

2393.श्री अरुण भारती:

श्री राजेश वर्मा :

श्रीमती शांभवी:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के अंतर्गत किसी ई-स्पोर्ट की मान्यता के लिए मानदंड, प्रक्रिया और समय-सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो 22 अप्रैल 2026 को अधिसूचित ऑनलाइन गेमिंग नियमों का प्रचार एवं विनियमन, 2026 के अंतर्गत भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण के पास पंजीकरण के साथ ऐसी मान्यता का समन्वय किस प्रकार है;

(ग) आज की तारीख के अनुसार मान्यताप्राप्त या पंजीकृत ई-स्पोर्ट्स पदकों और प्रदाताओं की कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या इस उद्देश्य के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच कोई समन्वय तंत्र स्थापित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) एवं (ख): राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 को खेलों के विकास एवं संवर्धन; खिलाड़ियों के कल्याण, सुशासन, सुशासन के मूलभूत सार्वभौमिक मूल सिद्धांतों पर आधारित नैतिक प्रयास; ओलंपिक एवं खेल आंदोलन, ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं तथा स्थापित विधिक मानकों के अनुरूप नैतिक तथा निष्पक्ष खेल और खेल

संबंधी शिकायतों एवं खेल विवादों के एकीकृत, न्यायसंगत एवं प्रभावी निस्तारण का प्रावधान करने तथा उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक विषयों पर आधारित नैतिक आचरण को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया है । राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 की चयनित धाराओं को दिनांक 31.12.2025 तथा 12.05.2026 को अधिसूचित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के अधीन बनाए गए राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियम, 2026 को दिनांक 12.01.2026 को अधिसूचित किया गया है। उक्त नियम खेल पारितंत्र में प्रशासन मानकों, अनुपालन अपेक्षाओं, नैतिक आचरण तथा संस्थागत जवाबदेही से संबंधित एक वैधानिक रूपरेखा निर्धारित करते हैं । अधिनियम, अधिसूचना तथा नियमों की प्रतियां मंत्रालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं: https://yas.gov.in/en/sports/nsga-2025। जहां तक ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन एवं विनियमन (पीआरओजी) अधिनियम, 2025 का संबंध है, यह अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियम ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित वैधानिक ढांचा प्रदान करते हैं, जिसमें भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण (ओजीएआई) के साथ ई-स्पोर्ट्स का पंजीकरण भी शामिल है।

(ग) वर्तमान में, ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन एवं विनियमन (पीआरओजी) अधिनियम, 2025 के अंतर्गत किसी भी ई-स्पोर्ट का पंजीकरण नहीं किया गया है।

(घ) एवं (ङ) भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित विषय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को आवंटित हैं, जबकि बहु-खेल आयोजनों के अंतर्गत ई-स्पोर्ट्स से संबंधित विषय खेल विभाग को आवंटित हैं।

ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन एवं विनियमन (पीआरओजी) अधिनियम, 2025 के अंतर्गत गठित भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण (ओजीएआई), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता है तथा, लागू प्रावधानों के अनुसार इसमें अन्य बातों के साथ-साथ युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का भी प्रतिनिधित्व है।
